

संपरिवर्तन आदेश

स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा व शोध संस्थान गोविन्दगढ के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा व शोध संस्थान गोविन्दगढ।
2	क्या आवेदक अनु० जाति / अनु० जनजाति का सदस्य है	नही
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	गोविन्दगढ ,गोविन्दगढ , चौमू।
	(ख)भूमि का खसरा सख्या एवं प्रत्येक ख०स० का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	ख०न० 2203/2193 रकबा 0.3080 है० में से 0.2690 है०, ख०न० 1169 रकबा 0.36 है० में से 0.2840 है० किता-02 कुल रकबा 0.5530है०।
	(ग) प्रत्येक ख० स० के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है० या वर्गमीटर में) टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख०न० 2203/2193 रकबा 0.3080 है० में से 0.2690 है०, ख०न० 1169 रकबा 0.36 है० में से 0.2840 है० किता-02 कुल रकबा 0.5530है० अर्थात (5530 वर्गमी०)
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमीयम की दर	85.96/- प्र०व०मी०
6	चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. Nil (GRN 40023967) दिनांक 18.06.2020 जमा दिनांक 18.06.2020 से रु० 75,000/- 83 (GRN 41074103) दिनांक 21.07.2020 जमा दिनांक 21.07.2020 से रु० 400404/- कुल रु० 475404/-
7	चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
8	चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
	अन्य कोई विशेष आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	---
		1. ख०न० 2200/2027 रकबा 0.0080है०, ख०न० 2202/2193 रकबा 0.0120है० भूमि किस्म गै०मु० रास्ता आवेदक के द्वारा निःशुल्क राजहित में रास्ते के लिये समर्पित की गई है। 2. ख०न० 2201/2027 रकबा 0.0620है०, ख०न० 2203/2193 रकबा 0.0390है०, ख.न. 1169 रकबा 0.0760है० किता- 3 कुल रकबा 0.1770 है० भूमि इंडियन रोड कांग्रेस से प्रभावित होने से रूपान्तरण नहीं किया गया है।



उप खण्ड अधिकारी  
चौमू जिला-जयपुर

- 11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा :-
1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
  2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा।
  3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
  4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
  5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जावेगा।
  6. आवेदित भूमि ख0न0 2201/2027 रकबा 0.0620 है0, ख0न0 2203/2193 रकबा 0.0390 है0, ख.न. 1169 रकबा 0.0760 है0 किता- 3 कुल रकबा 0.1770 है0 भूमि इंडियन रोड कांग्रेस से प्रभावित भूमि का उपयोग केवल मार्ग अधिकार के काम में लिया जा सकेगा। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य व अकृषि उपयोग में नहीं किया जा सकेगा।
  7. आवेदक को जिला स्तरीय समिति से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन करवाना होगा।
  8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 6 (6) राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
  9. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 एव इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्रों/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होंगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर



प्रतिलिपि :-

क्रमांक सम/20/92/93

(हिममत सिंह)  
उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड चौमू जिला-जयपुर

दिनांक 22/7/2020

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमू।
3. ग्राम पंचायत गोविन्दगढ पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला जयपुर।
4. आवेदक स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा व शोध संस्थान गोविन्दगढ।

(हिममत सिंह)

उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड चौमू (जयपुर)  
चौमू जिला-जयपुर

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

क्रमांक आर.ए./13/ (66)

दिनांक 04/10/13

संपरिवर्तन आदेश

स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर ।
2. क्या आवेदक अनु0 जाति / अनु0 जनजाति का सदस्य है	नही ।
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील  (ख) भूमि का खसरा स0 एवं प्रत्येक ख0 स0 का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	गोविन्दगढ, गोविन्दगढ, चौमूं।  ख0न0 1168/1773/2 रकबा 0.29 है0 ।
(ग) प्रत्येक ख0 स0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में)	ख0न0 1168/1773/2 रकबा 0.29 है0 मे से कुल 0.25 है0 अर्थात कुल 2500 व0मी0 ।
टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमीयम की दर	56.46/- प्र0व0मी0
6. चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चा.न. 84 दिनांक 27.06.2013 जमा दिनांक 27. 06.2013 से रु0 25000/-एव चा.न. 216 दिनांक 13.09.2013 जमा दिनांक 13.09.2013 से रु0 116150/- कुल रु0 141150/-
7. चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
8. चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	---
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	---
10. अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	रूपान्तरित ख0न0 की भूमि में से 140 व0मी0 भूमि भा0स0कायेंस के मापदण्डानुसार प्रभावित है।

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमाम्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. आवेदित भूमि में से एच0टी0 लाईन गुजर रही है जिसे अन्यत्र स्थान्तरित करवा कर ही रूपान्तरित भूमि का अकृषिक उपयोग किया जा सकेगा।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सडक जहा से संपरिवर्तित भूमि पर पहुच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जावेगा।
7. आवेदित भूमि में से इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सडक के मध्य से छोडी गई भूमि का राज्य पक्ष में निशुल्क समर्पण करना होगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 6 (6) राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु सम्पर्वर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्रों/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होंगी।



**उपखण्ड अधिकारी**  
उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ, जयपुर

क्रमांक सम /13/ 067-170

दिनांक 04/10/13

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व/रा. ले.) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमूँ।
3. ग्राम पंचायत गोविन्दगढ पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला जयपुर।
- ✓ 4. आवेदक स्व0 कु0 लक्ष्मी बधाला शिक्षा शोध संस्थान गोविन्दगढ तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

**उपखण्ड अधिकारी**  
उपखण्ड अधिकारी, चौमूँ, जयपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR & TEHSILDAR

TEHSIL-CHOMU, DIST-JAIPUR(RAJASTHAN) PIN-303712

Ref.No. 1

Date: 16-1-20

**LAND KHASRA NUMBER MILAN CERTIFICATE**

This is to certify that the land under following description is lying and situated at Village-N.H.52, Govindgarh, Jaipur, Plot No./Kh.No.- **1895,1897,1883** Pin-303712 is owned by Late Kumari Laxmi Badhala Education and Research Institute, N.H.52, Govindgarh, Jaipur, Raj-303712 has been duly mutated with our records.

It is also certified that as per land records, the land khasra No. given at the time of registration has changed to another after conversion/Settlement and is in absolute possession of "LATE KUMARI LAXMI BADHALA EDUCATION AND RESEARCH INSTITUTE" N.H.52, Govindgarh, Jaipur, Raj-303712 Who are owners of the land.

**LAND DETAILS**

- |                              |   |   |                     |                  |
|------------------------------|---|---|---------------------|------------------|
| 1. Total Land (In Sq. Mtrs.) | : | 8030.00 Sq.Mtrs.  |                     |                  |
| 2. Mutation of land          | : | The land is allotted for Educational Institutional Purpose. |                     |                  |
| 3. Plot No./Khasara No.      | : | Old Khasra No.  | New Khasra No.      | New Khasra No.   |
|                              |   |   | After Conversion    | After Settlement |
|                              |   | 1168/1773/2   | 1168/1773/2         | 1895             |
|                              |   | 1168  | 2203/2193           | 1897             |
|                              |   | 1169  | 1169                | 1883             |
| 4. Revenue Village           | : | Govindgarh  |                     |                  |
| 5. Tehsil                    | : | Chomu   |                     |                  |
| 6. District                  | : | Jaipur  |                     |                  |
| 7. N.H.                      | : | <b>Old N.H.-11</b>  | <b>New N.H.- 52</b> |                  |
| 8. State                     | : | Rajasthan   |                     |                  |

9. The above mentioned land was registered in the name of "Late Kumari Laxmi Badhala Education And Research Institute , N.H.52, Govindgarh, Jaipur, Raj-303712" In the Office of Sub Registrar, Govindgarh, Jaipur on dated.

This is also certified connection that the land Revenue payable against this land has been cleared up-to-date by Late Kumari Laxmi Badhala Education And Research Institute , N.H.52, Govindgarh, Jaipur, Raj-303712.

  
बलवन्त कुमार  
पटवारी गोविन्दगढ़,  
तहसील- चोमू (जापुर)

CS  
3  
तहसीलदार (भू.अ)  
तहसील- चोमू

25 M-24/200



राजस्थान RAJASTHAN

A 556051



EXD1  
12/2/13



श्रीगणेशाय नमः

विक्रय-पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 07.05.2008 ईस्वी को कस्बा चौमू मे-  
बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम उर्फ गंगूसिंह उम्र करीब 45 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम  
गोविन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर (राज.) जिन्है इस लेख पत्र मे आगे शब्द

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

क्रमांक १६१ दिनांक 6/5/08  
पुस्तक का कुल पृष्ठ 9  
नाम स्व. उमारी लक्ष्मी वैद्यलाल शिखा  
पिता/पति गोविन्दगढ़ एवं शोध संख्यान  
पुस्तक बरीदने का ब. दर तथा सम्बन्धित  
शर्तें पत्र - पत्र

श्री राजश्याम गुप्ता  
अधिकृत स्टेशन विक्रेता  
तहसील चौर (जयपुर)  
पत्र नं० R/27/103B

आज दिनांक 7 माह May सन् 2008 को 16:25 बजे  
श्री/श्रीमती/सुश्री BAJRANG SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANGU RAM (GANGU SINGH)  
उम्र 45 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय AGR  
निवासी GOVIND GARH  
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHOMU  
(2008002449)  
(Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं० 2008002067 दिनांक 07/05/2008  
पंजीयन शुल्क रू० 6370/-  
प्रतिलिपि शुल्क रू० 200/-  
पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-  
अन्य शुल्क रू० 0/-  
कमी स्टाम्प शुल्क रू० 49950/-  
कुल योग रू० 56520/-

(2008002449) उप पंजीयक, CHOMU  
(Sale Deed (Conveyance deed))

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री ( Executant )  
1-BAJRANG SINGH/GANGU RAM (GANGU SINGH)  
Age:45, Caste-JAT  
Ocu.-AGR  
R/O-GOVIND GARH

हस्ताक्षर



(2)

“प्रथम पक्ष विक्रेता” से सम्बाधित किया गया है की और से स्व० कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान गोविन्दगढ़ तहसील चौमूँ जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान पुत्र श्री पूरणमल चौहान उम्र 63 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमूँ जिला जयपुर जिन्हें इस लेख पत्र मे आगे शब्द “द्वितीय पक्ष क्रेता”से सम्बोधित किया गया है के हित मे निम्न प्रकार लिखा गया, जिसकी शर्तो से दोनो पक्षा व इनके समस्त वारिस, उत्तराधिकारी, मुख्त्यार, नोमिनी, हस्तान्तरिती इत्यादि भी पूर्ण रूप से पाबन्द है व रहेंगे।

जो कि वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमूँ जिला जयपुर मे मुझ प्रथम पक्ष की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

**सारणी नम्बर-1**

क्र०सं०	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1-	1162	1.08 हैक्टेयर	चाही/जाव-1
2-	1168	0.92 हैक्टेयर	बारानी-2
3-	1169	0.36 हैक्टेयर	बारानी-2
योग:-	3	2.36 हैक्टेयर	

उपरोक्त वर्णित कुल खसरा किता-3 का कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर भूमि मे हिस्सा 1225/7632 भाग (1/24 + 5/48 + 14/954 = 1225/7632 भाग) की खातेदारी राजस्व रेकार्ड मे मुझ प्रथम पक्ष के नाम से है तथा मेरा ही काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमे किसी भी प्रकार का

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

( And Claimant )  
1-BAJRANG LAL/PURAN MAL  
Age:63, Caste-NAI  
Ocu.-BUSI  
R/O-GOVIND GARH



ने लेख्यपत्र **Sale Deed (Conveyance deed)**  
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।  
प्रतिफल राशी रू0 600000/- पूर्व में/मेरे  
समक्ष/मे से रू0 600000/-पूर्व में \_\_\_\_\_  
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री **MOHAN LAL**  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **SUNA RAM** उम्र 45 वर्ष  
जाति **KUMAWAT** व्यवसाय **AR**  
निवासी **BALEKHAN**

*Handwritten signature*

2. श्री/श्रीमती/सुश्री **MUKESH SAINI**  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **GANGA SAHAI** उम्र 27 वर्ष  
जाति **MALI** व्यवसाय **AGR**  
निवासी **CHOMU** ने की है जिनके

*Handwritten signature*

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2008002449)  
(Sale Deed (Conveyance deed))

उप पंजीयक, **CHOMU**



(2)

(3)

कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं है। शेष हिस्सों की खातेदारी अन्य खातेदारों के नाम से है जो सुरक्षित है।

**सारणी नम्बर-2**

क्र०सं०	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1-	1108	0.12 हैक्टेयर	बारानी-2

उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर-1108 का कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रथम पक्ष के नाम से है तथा मेरा ही काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं है।


यह कि उक्त वर्णित मेरे हिस्से की भूमि पर मैं प्रथम पक्ष बिना किसी अन्य व्यक्ति, पारिवारिक सदस्य इत्यादि के सीर-सांझे व हिस्से के एक मात्र रूप से मालिक, स्वामी, अधिकारी, काबिज एवं खातेदार हूँ तथा मैंने अपने हिस्से की उक्त वर्णित आराजीयात भूमि सम्पूर्ण अथवा इसके किसी भी हित व अंश को आज तक किसी अन्य व्यक्ति, संस्था के हित में विक्रय, बक्शीश, त्याग आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की है और न ही किसी के ऋण एवं भार, कर्जा, कुर्की आदि द्वारा रहन, गिरवी अथवा अनुबन्धित की है। उक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार से पूर्णतया पाक व साफ है। अतः मुझ प्रथम पक्ष को उपरोक्त वर्णित सारणियों के मुताबिक मेरे हिस्से की भूमि सम्पूर्ण को अथवा इसके किसी भी हित व अंश को समस्त कृषि एवं खातेदारी मालिकाना अधिकारों सहित हस्तान्तरित करने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त हैं।

*Dr. Syed*


*Quint*

*Munim*

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र  
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र  
की मालियत रूपये 636800  
मागते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक  
राशि 49950 पर कमी पंजीयन शुल्क  
रूपये 6370 कुल रूपये 56520  
जरिये रसीद संख्या 2008002067 दिनांक 07/05/2008  
में जमा किये गये है।  
अतः दस्तावेज को रूपये 50950  
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

  
(2008002449) उप पंजीयक, CHOMU  
(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक 07/05/2008 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 262  
में पृष्ठ संख्या 38 क्रम संख्या 2008001851 पर  
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 827  
के पृष्ठ संख्या 211 से 219 पर  
चस्था किया गया।

  
(2008002449) उप पंजीयक, CHOMU  
(Sale Deed (Conveyance deed))

(4)

यह कि मुझ प्रथम पक्ष को अपनी खानगी खर्च एवं अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है। अतः मैंने उपरोक्त सारणी नम्बर-1 में वर्णित कुल खसरा किता-3 का कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1225/7632 भाग सम्पूर्ण को एवम् सारणी नम्बर-2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर-1108 का कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण को समस्त कृषि एवम् खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवं अधिकारों सहित मय बोल, डोल सूल, पानी-पूला, वृक्ष आदि के मुबलिंग 6,00,000/- रूपये अक्षरे छः लाख रूपये के बदले उक्त द्वितीय पक्ष स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान गोविन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान पुत्र श्री पूरणमल चौहान जाति नाई निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर के हित में कतई बेचान कर दी है तथा रकम बिचौती की सम्पूर्ण राशि नकद प्राप्त करके उक्त विक्रित आराजीयात भूमि का वास्तविक कब्जा मौके पर उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता को जाकर करा दिया है। अब द्वितीय पक्ष को अपने नाम से नामान्तरण एवं खातेदारी खुलवाने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यदि इस सम्बन्ध में मुझ प्रथम पक्ष के लिखित अथवा मौखिक बयान एवं शहादत की आवश्यकता होगी या पड़ेगी तो मैं प्रथम पक्ष उक्त द्वितीय पक्ष का पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य रहूंगा।

अब मुझ प्रथम पक्ष का व मेरे उत्तराधिकारियों का उक्त विक्रित आराजीयात भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं रहा है और न ही भविष्य में रहेगा। यदि इस विक्रय पत्र के खिलाफ मेरा कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की

उप पंजाब चौमू

अब मुझ प्रथम पक्ष का व मेरे उत्तराधिकारियों का उक्त विक्रित आराजीयात भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं रहा है और न ही भविष्य में रहेगा। यदि इस विक्रय पत्र के खिलाफ मेरा कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की

(5)

कोई आपत्ति, दावेदारी अथवा उज्रदारी उठायेंगे तो उनका तस्फिया भी मैं विक्रेता स्वयं अपने खर्चे के साथ करूँगा।

आज तक उक्त विक्रित आराजीयात भूमि सभी प्रकार के झगडे टन्टो से सरकारी, गैर सरकारी, बैंक एवं जन साधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है और न ही किसी के रहन, बक्शीश, गिरवी अथवा विक्रय अनुबन्धित है। विक्रय भूमि सभी प्रकार से पाक व साफ है। आज से पहले का किसी का कोई कर भार बकाया होगा या निकलेगा तो उसका चूकारा भी मैं विक्रेता स्वयं करूँगा।

इस विक्रय पत्र से पूर्व जो समस्त मालिकाना हक व अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे वे समस्त मालिकाना हक व अधिकार अब जरिये इस विक्रय पत्र के उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये है। द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजीयात भूमि से सभी प्रकार के फायदे उठावे, अपने नाम से लगान जमा करावे, उक्त भूमि को सममतल करावे, किस्म परिवर्तन करावे, हर प्रकार से इसका उपयोग व उपभोग करे, चाहे तो किसी अन्य को बेचान या हस्तान्तरित करे।

विक्रित भूमि का संक्षिप्त विवरण व स्थिती :-

ग्राम गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर के उपरोक्त सारणी नम्बर-1 मे वर्णित कुल खसरा किता-3 का कुल रकबा 2.36 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1225/7632 भाग सम्पूर्ण को एवम् सारणी नम्बर-2 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर-1108 का कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण को बेचान किया गया है। उक्त विक्रित नेशनल हाइवे रोड से करीब एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रय भूमि के आसपास कोई औद्योगिक एवं वाणिज्य क्षेत्र नहीं है।

*[Handwritten signature]*  
उप प्रजायक चौमूं

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(30)


(6)

इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा उक्त द्वितीय पक्ष क्रेता के जिम्मे है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है ।


अतः यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने, अपनी स्वेच्छा से बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गवाहान के समक्ष सोच, समझ व पढ सुनकर सही मानते हुये 1000/-रूपये के स्टाम्प कीमती किता एक व पेपर किता पाँच पर लेख करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति०

नोट:- इस विक्रय पत्र की फोटो प्रति अस्पष्ट अथवा अपठनीय होने पर विभाग की जिम्मेवारी नहीं होगी।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विक्रेता :-

  
(बनरंगसिंह ग्राट)


हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष क्रेता :-


  
अध्यक्ष

स्व. कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान  
गोविन्दगढ तहसील चौमू जिला जयपुर

हस्ताक्षर गवाहान मय पता :-

1- मोहन लाल कुशवट

  
2- मुकेश सोनी 8/0 सी गंगा सहय सोनी  
161 मे शिवनगर, चौमू



उप-पंजीकृत चौमू



राजस्थान RAJASTHAN

353235

353235

4 FEB 2013



श्री गणेशाय नमः

**बकशीश-नामा**

हम (1) बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम जाट उम्र करीब 45 वर्ष, (2) श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री बजरंगसिंह उम्र करीब 42 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील चौमू जिला जयपुर राज्य राजस्थान के रहने वाले है।

*[Handwritten signature]*

संतोष

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

जयपुर जयपुर-चौमू

नाम २३१४ ..... दिनांक २२/२०१३  
 मुद्रांक का कुल मूल्य ७०  
 नाम स्व. सुनी लक्ष्मी वधावा शिक्षा प्रवर्धन बोर्ड संस्थान  
 पिता/पति का नाम .....  
 पता .....  
 मुद्रांक खरीदने का माध्यम तथा सम्बन्धित  
 कार्य .....



राधिका गुप्ता  
 राधिका गुप्ता  
 अधिकृत स्वास्थ विभागा  
 तह. चीफ (जनकपुर)  
 नं० बी० R127/1038



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

भारत



INDIA

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

राजस्थान RAJASTHAN

353196

353196



(2)

जो कि ग्राम गोविन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर मे हमारी खातेदारी की भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सारणी नम्बर-1

क्र०सं०	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1-	1168 / 1773 / 2	0.29 हैक्टेयर	बारानी-2

उपरोक्त सारणी नम्बर-1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर-

1168 / 1773 / 2 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी

*[Handwritten Signature]*

भंतीव

*[Handwritten Signature]*

D-184

2298 22/2013

पुस्तक का कुल मूल्य 70

300000/-

नाम स्व. गंगु राम जी

पिता/पति का नाम

पता

पुस्तक खरीदने का आधार तथा सम्बन्धित

बाराणसी

राजेश्वर

राजेश्वर गुप्ता

अधिकृत स्टाम्प विभागा

बहो चौम (जयपुर)

नं० 8127/1028



आज दिनांक 8 माह February सन् 2013 को 14:12 बजे श्री/श्रीमती/सुश्री BAJRAGH SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GAIIGU RAM उम्र 45 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय AGR निवासी GOVIND GARH ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

*[Handwritten Signature]*

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता  
(2013002200)  
(Gift Deed)

*[Handwritten Signature]*

हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHOMU

उप पंजीयक-चौम

रसीद नं० 2013001759 दिनांक 08/02/2013  
पंजीयन शुल्क रू० 50000/-  
प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/-  
पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-  
अन्य शुल्क रू० 51330/-  
कमी स्टाम्प शुल्क रू० 313300/-  
कुल योग रू० 414930/-

*[Handwritten Signature]*

(2013002200)  
(Gift Deed)

उप पंजीयक CHOMU

उप पंजीयक-चौम

हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)  
1-BAJRAGH SINGH/GANGU RAM  
Age:45, Caste-JAT  
Ocu.-AGR  
R/O-GOVIND GARH

*[Handwritten Signature]*



उप पंजीयक-चौम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

भारत



सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY  
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

राजस्थान RAJASTHAN

353197

353197

(3)

राजस्व रेकार्ड मे प्रतिज्ञा नम्बर-1 बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम जाति जाट के नाम से दर्ज है तथा काबिज काश्त कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमे किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नही है।

सारणी नम्बर-2

क्र०सं०	खसरा नम्बर	रकबा	भूमि किस्म
1-	1168 / 1773 / 1	0.07 हैक्टेयर	बारानी-2
2-	1169 / 1774	0.05 हैक्टेयर	बारानी-2

D-182

2398  
 2/2/2013  
 शुद्धिक का कुल मूल्य 70  
 2000000  
 स्व. कोमली लक्ष्मी बहाला शिक्षा मुख्यालय  
 पिता/पति का नाम  
 पता  
 शुद्धिक करीबन का बालप तथा सम्बन्धित  
 2/2/2013



राजेश कुमार  
 राधेश्याम गुप्ता  
 अधिकृत स्टाफ विक्रेता  
 वही चौक (जयपुर)  
 नं० 1127/103A



हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

2-SANTOSH DEVI /BAJRANG SINGH  
 Age:42, Caste-JAT  
 Ocu.-AGR  
 R/O-GOVIND GARH

संतोष



( And Claimant )  
 1-KUMARI LXMI BADHALA SHIKSHAN JARIY  
 BAJRAGH CHOCHAN /PURAN MAL  
 Age:66, Caste-NAI  
 Ocu.-SER.  
 R/O-KALU KA BAS (GOVIND GARH)  
 R/O-KALU KA BAS (GOVIND GARH)

कुमारी लक्ष्मी



ने लेख्यपत्र Gift Deed  
 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान  
 1. श्री/श्रीमती/सुश्री BABU LAL  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MALI RAM उम्र 32 वर्ष  
 जाति AHIR व्यवसाय AGR  
 निवासी GOVIND GARH

बाबु लाल

2. श्री/श्रीमती/सुश्री NAND KISHOR  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GHASI RAM उम्र 35 वर्ष  
 जाति AHIR व्यवसाय AGR  
 निवासी GOVIND GARH ने की है जिनके

नन्दकिशोर

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2013002200)  
 (Gift Deed)

उप पंजीयक CHOMU  
 उप पंजीयक-चोमू

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



राजस्थान RAJASTHAN

353198

353198



(4)

3—	1170 / 1805	0.17 हैक्टेयर	बारानी-2
योग :-	3	0.29 हैक्टेयर	

उपरोक्त सारणी नम्बर-2 मे वर्णित कुल खसरा किता-3 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी राजस्व रेकार्ड मे प्रतिज्ञ नम्बर-2 श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री बजरंगसिंह जाति जाट के नाम से दर्ज है तथा काबिज काशत कब्जा व मालिकाना हक व अधिकार है। अन्य किसी का इसमे किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं है।

संतीष

D-180

2318 चर/2053

दस्तावेज का कुल मूल्य 70

2000000

पिता/पति का नाम

अशोक कुमार

राजेश कुमार

राजेश कुमार गुप्ता  
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता  
तहसील चोमू (जयपुर)  
फोन नं० R127/1038



801838

801838

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र  
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र  
की मालियत रूपये 10266000  
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक  
राशि 313300 पर कमी पंजीयन शुल्क  
रूपये 50000 कुल रूपये 414930  
जरिये रसीद संख्या 2013001759 दिनांक 08/02/2013  
में जमा किये गये है।  
अतः दस्तावेज को रूपये 513300  
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।



(2013002200) उप पंजीयक, CHOMU  
(Gift Deed)

उप पंजीयक-चोमू

आज दिनांक 08/02/2013 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 444  
में पृष्ठ संख्या 97 क्रम संख्या 2013001697 पर  
पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1556  
के पृष्ठ संख्या 349 से 361 पर  
चस्पा किया गया।

(2013002200) उप पंजीयक, CHOMU  
(Gift Deed)

उप पंजीयक-चोमू



राजस्थान RAJASTHAN

353199

353199

(5)

अतः हमको उपरोक्त वर्णित हमारी खातेदारी भूमि को समस्त कृषि एवं खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवं अधिकारो सहित हस्तान्तरित, बख्शीश आदि करने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रतिज्ञ नम्बर-1 श्री बजरंगसिंह पुत्र श्री गंगूराम जाट ने अपनी स्वेच्छा से अन्तकरणः से प्रेरित होकर उक्त सारणी नम्बर-1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर-1168/1773/2 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण को एवम् प्रतिज्ञ नम्बर-2 श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नि श्री बजरंगसिंह जाट ने अपनी स्वेच्छा से अन्तकरणः से प्रेरित होकर उक्त सारणी नम्बर-2 मे वर्णित कुल खसरा किता-3 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण

*[Handwritten signature]*

सतीश

*[Handwritten signature]*

उप संजीयक-चौमू

7-188

चर/२०१३

नाम २३१४ दिनांक  
 कुर्बान का कुल मूल्य १०  
 २००००००  
 नाम स्व० कुमारी अरुणी कर्मा/शिक्षा प्रवृत्त शोध संस्थान  
 पिता/पति का नाम  
 पता डोबिडा  
 पुस्तक खरीदने का अंश तथा सम्बन्धित  
 नाम - कर्माशिवान्



रावणराज  
 रावणराज गुप्ता  
 अधिकृत स्टाम्प विक्रेता  
 बहो चौमू (जयपुर)  
 मो नं० ९१२७१०३९



९९१४४४

९९१४४४

(Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page)

प्राप्त



राजस्थान RAJASTHAN

353200

353200



(6)

को समस्त कृषि एवं खातेदारी मालिकाना हक हकूको एवम् अधिकारो सहित को मय बोल, डोल सूल, पानी-पूला, वृक्ष आदि सहित को स्व०कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवम् शोध संस्थान गोविन्दगढ़ जिला जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान पुत्र श्री पूरणमल चौहान निवासी -कालू का बास, ग्राम गोविन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.) के हित मे कतई बख्शीश करते है। तथा उक्त बख्शीश की गई आराजीयात भूमि का वास्तविक कब्जा मौके पर उक्त बख्शीश ग्रहिता को जाकर करा दिया है। अब उक्त बख्शीश ग्रहिता को नामान्तकरण एवं खातेदारी खुलवाने के समस्त हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। यदि इस सम्बन्ध मे हमारे लिखित अथवा मौखिक बयान एवं

संतीष

अप वंजीयक-चौमूँ





राजस्थान RAJASTHAN

358178

353178



(7)

शहादत की आवश्यकता होगी या पड़ेगी तो हम बख्शीश ग्रहिता का पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य रहेंगे।

अब हमारा व हमारे उत्तराधिकारियों का उक्त बख्शीश की गई आराजीयात भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा सम्बन्ध नहीं रहा है और न ही भविष्य में रहेगा। यदि इस बख्शीश पत्र के खिलाफ हमारा कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, दावेदारी अथवा उज्रदारी उठायेंगे तो उनका तस्फिया भी हम बख्शीश कर्तागण स्वयं अपने खर्चे के साथ करेंगे।

आज तक उक्त बख्शीश की गई आराजीयात भूमि सभी प्रकार के झगडे टन्टो से सरकारी, गैर सरकारी, बैंक एवं जन साधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है और न ही किसी के रहन, बक्शीश, गिरवी

*[Handwritten signature]*

संतोष

*[Handwritten signature]*

अब प्रजासिंह-घोमू

D-184

क्रमांक 2398 दिनांक 20/2/2013

कुर्ची का कुल मूल्य 200000/-

नाम श्री. सुनील कुमार शर्मा, शिक्षा एवं शोध संस्थान

पता 500140

कुर्ची खरीदने का आदेश तथा सम्बन्धित

पत्र संख्या 500140

राजेश कुमार  
राजस्थान गुप्ता  
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता  
ब्लॉक चौक (नवपुर)  
फोन नं. R127/1038



श्री. सुनील कुमार शर्मा को शिक्षा एवं शोध संस्थान के लिए कुर्ची खरीदने का आदेश दिया गया है। कुर्ची का कुल मूल्य 200000/- है।

राजेश कुमार  
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता



राजस्थान RAJASTHAN

353179

353179



(8)

अथवा बक्शीश अनुबन्धित है। बक्शीश की गई भूमि सभी प्रकार से पाक व साफ है। आज से पहले का किसी का कोई कर भार बकाया होगा या निकलेगा तो उसका चूकारा भी हम बक्शीश कर्ता स्वयं करेंगे।

इस बक्शीश नामा से पूर्व जो समस्त मालिकाना हक व अधिकार हम बक्शीश कर्तागणों को प्राप्त थे वे समस्त मालिकाना हक व अधिकार अब जरिये इस बक्शीश नामा के उक्त बक्शीश ग्रहिता को प्राप्त हो गये है। बक्शीश ग्रहिता उक्त बक्शीश की गई आराजी भूमि से सभी प्रकार के फायदे उठावे, अपने नाम से लगान जमा करावे, इत्यादि।

बक्शीश की गई भूमि की स्थिति :-

यह कि उक्त बक्शीश की गई आराजीयात भूमि रोड से लगती हुई स्थित है। बक्शीश की गई भूमि में कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

अप पंजीयक-चोम्

D-182

2318

चर/2013

कुर्शक का कुल मूल्य 90

नाम सुनो शर्मा / विप्लवी व धाला शिक्षा उपग्रह शोध संस्था

पिता/पति का नाम गोविन्दशर्मा

पुस्तक खरीदने का आशय तथा सम्बन्धित कार्य

कक्षा शिक्षण



राष्ट्रीय प्रकाशक  
राजेश्वर गुप्ता  
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता  
बहो चौमू (जयपुर)  
सं. नं. R127/1037

971828

971828



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



राजस्थान RAJASTHAN

353180

353180

27 JAN 2013



(9)

यह कि हमने उक्त आराजीयात भूमि की बख्शीश अपनी अन्तःआत्मा से प्रेरित होकर स्व० कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवम् शोध संस्थान गोविन्दगढ जिला जयपुर के हक मे किया है। हमने कोई प्रतिफल प्राप्त नही किया है। हमारी उक्त बख्शीश को उक्त संस्थान की और से संस्थान के अध्यक्ष श्री बजरंगलाल चौहान ने सहर्ष स्वीकार कर इस लेख पत्र मे अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

इस बख्शीश नामा का समस्त खर्चा बख्शीश ग्रहिता द्वारा वहन किया गया है।

अतः यह बख्शीश नामा हमने हमारी स्वेच्छा से बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गवाहान के समक्ष

*[Handwritten signature]*

संतीष

*[Handwritten signature]*

राजस्थान न्यायिक-घोर्मा

2398 दिनांक 22/10/23

पुस्तक का कुल मूल्य 70

नाम श्री. सुनील कुमार शर्मा

पता श्री. सुनील कुमार शर्मा

पुस्तक खरीदने का आदेश तथा सम्बन्धित

श्री. सुनील कुमार शर्मा

राजस्थान गुप्ता  
पब्लिक स्टाम्प विक्रेता  
ग्रह चौक (जयपुर)  
नं. 127/1938



081233

081233

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



राजस्थान RAJASTHAN

353181

353181

(10)

सोच, समझ व पढ सुनकर सही मानते हुये 2,00,000/-रुपये के स्टाम्प कीमती किता दस पर लेख करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति०

हस्ताक्षर बख्शीश कर्तागण :-

मुझे उपरोक्त बख्शीश सहर्ष स्वीकार है :-

बजरंगलाल चौहान  
अध्यक्ष

स्व० कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान  
गोविन्दगढ. (जयपुर)

हस्ताक्षर गवाहान मय पता :-

1-   
(बाबूलाल जी. मालीवाल इली) गोविन्दगढ

2- नन्दमिशोर  
(नन्दमिशोर जी. धारिशर इली) गोविन्दगढ



D-168

२३१४

५२/२०१३

पुस्तक का कुल मूल्य १०  
२०००००/-

नाम स्व० कुमारी लक्ष्मी कर्माकर शिक्षा मन्त्र शाली संस्था  
पिता/पति का नाम

पता गोपिका  
पुस्तक बरीदवे का आशय तथा सम्बन्धित

काशी विश्वविद्यालय



राशि ५१००/-

राजश्याम गुप्ता  
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता  
बह० बी० (जयपुर)  
नं० बी० R127/1039

323181

323181



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature